न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 115/2018

अनवान :

1. जगदीश पुत्र श्री कासीराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्त करने जमाबन्दी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री सुभाष शर्मा : **प्रार्थी**

पेरोकार राज : **अप्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 35/336 की कुल 11.4830 है0 में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के पिता कासीराम का देहान्त होने पर उक्त भूमि प्रार्थी एवं कासीराम के अन्य वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम जगदीश के स्थान पर प्रार्थी का घरेलु नाम किसनाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, एवं बैंक पासबुक व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम जगदीश दर्ज है एवं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मलसीसर का तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी के पिता कासीराम के किसनाराम नामक कोई पुत्र नहीं है बल्कि प्रार्थी जगदीश को ही घरू तौर पर किसनाराम कहते है। प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम जगदीश के स्थान पर उक्त खाता में किसनाराम दर्ज हो गया था जो एक लिपिकीय भूमि है। उक्त भूल सद्भावी है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में किसनाराम दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है एवं कुठाराघात हो रहा है एवं प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर ऋण स्वीकृत नहीं कर पा रहा है एवं अन्य राज्य सरकार का लाभ भी नामों की भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए प्रार्थी अपने नाम की बाबत जरिऐ संशोधन दुरूस्त करवा पाने का मजाज कानूनी है।

प्रार्थी ने राजस्व अभियान में नाम दुरूस्ती बाबत दिनांक 09.07.2018 को एक आवेदन पेश किया था जिसमें सह खातेदारों ने भी अपनी सहमति दे दी और पटवार हल्का मलसीसर के राजस्व पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट नाम संशोधन किऐ जाने की अनुशंषा करते हुवे दुरूस्ती किया जाना उचित दर्ज किया है जो संलग्न आवेदन है एंव गिरदावर ने भी पटवारी रिपोर्ट को उचित दर्ज किया है परन्तु अब अभियान का समय खत्म होने के कारण न्यायालय में कार्यवाही हेतु निर्देशित किया इसलिए प्रार्थी हाजिर अदालत होकर आवेदन पेश कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब पेश की।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम मलसीसर खाता सं0 35/336 सम्वत् 2071 से 74, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर, चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्रप्रति भामाशाह कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति राशनकार्ड, चित्रप्रति बैंक पासबुक पेश किये।

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 35/336 के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपना नाम सहबन लिपिकीय भूल से गलत दर्ज होना अंकित किया है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो चित्रप्रति वोटर आईडी कार्ड, चित्रप्रति भामाशाह कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति राशनकार्ड, चित्रप्रति बैंक पासबुक की चित्रप्रतियां पेश की है उनमें प्रार्थी का नाम जगदीश दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर ने जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी के सही नाम की पुष्टि की है, किन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहबन लिपिकीय भूल से दर्ज हो गया हो ऐसा साबित होता हो ना ही प्रार्थी ने नामान्तकरण की प्रति पेश की है जिससे पता चल सके की प्रार्थी का नाम कब और किस प्रकार सहबन लिपिकीय भूलवश गलत दर्ज हुआ था। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़